

कार्यालय  
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा  
समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

## परिवाद निष्पादन प्रपत्र

पत्रांक... 28/शेखपुरा/2018-19

दिनांक... 05/05/2018/

माह अप्रैल, वर्ष 2018

अभ्युक्ति

क्र० सं०	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद शिकायत पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद पत्र की संख्या	लोकपाल द्वारा पारित निष्पादन के क्रम में आदेश	अभ्युक्ति
1	ई० पंकज सिन्हा,	4	2	6	2	<p>1. सुरेश प्रसाद सिंह, एवं रामप्रवेश सिंह, ग्राम पंचायत-गंगरी के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत सदर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत गंगरी के रूदासी ग्राम में मनरेगा का बिना कार्य किए शशि निकासी के सन्दर्भ में शिकायत/मामला/वाद दायर किया गया है (वाद सं० 03, दिनांक 23.10.2017 को दर्ज किया गया)। निष्पादन लंबित।</p> <p>2. ग्राम पंचायत हुसैनबाद के अंतर्गत मनरेगा योजनाओं में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया। (वाद सं० 05, दिनांक 01.12.2017 को दर्ज किया गया)। निष्पादन लंबित।</p> <p>3. ग्राम पंचायत छठियारा में मनरेगा योजना से संबंधित परिवाद पत्र उप विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया। (वाद सं० 06, दिनांक 14.12.2017 को दर्ज किया गया)। निष्पादन लंबित।</p>	<p>शिकायत/मामला/वाद को दर्ज होने के उपरान्त योजना स्थल पर भ्रमण के किया गया और कार्यक्रम पदाधिकारी, शेखपुरा के जमा दरखावेज की सैद्धांतिक जाँच की गई। एवं योजना सील की जाँच की गई इसी बीच दिनांक 26.04.2018 को पत्र प्राप्ति से पंचायत तकनीकी सहायक पंचायत राज गंगरी द्वारा ड्यूटी पर रहना और कार्य होने की जानकारी प्राप्त नहीं है यह दर्शाता है कार्य नहीं हुआ। और कार्यक्रम पदाधिकारी और लेखापाल के द्वारा जान बूझकर पैसा में लापरवाही की यह पाया गया है, पैसा निकासी में सैद्धांतिक पहलू पर नजर अंदाज ढील देना पैसा गवन करवाने में मदद करना पाया गया जाँच प्रक्रिया पूरी है दण्ड निर्धारित एवं कार्यवाही हेतु पंचाट/अधिनिर्णय जारी किया जाना है। जो सहायक के प्रतिन्युक्त की प्रतीक्षा में लंबित।</p> <p>लोकपाल के अस्थायी अदालत में एक शिकायत कर्ता श्री सजय रजक द्वारा कहा गया था कि मैं मनरेगा में कार्य नहीं किया। परन्तु भुगतान किया गया। लोकपाल को ऐसा लगता है सजय रजक द्वारा ही पैसा निकासी किया गया। इस सन्दर्भ में सजय रजक की उपस्थिति के उपरान्त संबंधित पहलु को जाँच हेतु अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना को दिया गया है। रिपोर्ट लंबित। निष्पादन लंबित।</p> <p>वाद संख्या 6 के सन्दर्भ में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिए गए दरखावेज को पढ़ने के बाद दो बार अलग-अलग पत्र भेजा गया है। एवं पूर्व में जिला अधिकारी स्तर से गठित कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी सम्बन्धित मनरेगा कर्मों से स्पष्टीकरण पूछा गया है कुछ कर्मों से जवाब लंबित। निष्पादन लंबित।</p>

शेष अगले पृष्ठ पर



ई० पंकज सिन्हा,

लोकपाल (मनरेगा),

शेखपुरा (बिहार)

कार्यालय  
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा  
समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

परिवाद निष्पादन प्रपत्र

क्र० सं०	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद शिकायत पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद पत्र की संख्या	लोकपाल द्वारा पारित निष्पादन के क्रम में आदेश	अभ्युक्ति
1	ई० पंकज सिन्हा,	4	2	6	2	<p>4. श्री आनन्दी प्रसाद सिंह के द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में नहीं मिलने की शिकायत दी गई। दिनांक 27.02.2018 वाद संख्या 23 में दर्ज किया गया। वाद लंबित।</p> <p>5. श्रीमति पिकी देवी नन्दलाल दाढ़ी, पंचायत गगरी, प्रखण्ड-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ वाद संख्या-1 वर्ष 2018-19 में दर्ज किया गया निष्पादन किया गया।</p> <p>6. श्री मिथलेश दाढ़ी, पिता-नागेश्वर राम, ग्राम पंचायत गगरी, प्रखण्ड-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ वाद संख्या-2 वर्ष 2018-19 में दर्ज किया गया। निष्पादन किया गया।</p>	<p>कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में 04.04.2018 को भ्रमण किया गया उनके द्वारा 18.04.2018 एवं 28.04.2018 को समय दिया गया परन्तु कार्यक्रम पदाधिकारी चेवाड़ा छुट्टी पर थे। जिसके कारण कनीय अभियंता द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें किसी भी पंचायत सेवक ससमय उपलब्ध नहीं होना लिखा था। फिर पुनः दिनांक 28.05.2018 को भ्रमण हेतु सुनिश्चित। निष्पादन लंबित।</p> <p>परिवाद श्रीमति पिकी देवी, ग्राम पंचायत गगरी द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण सेजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सेजगार कार्ड/जॉब कार्ड के लिए शिकायत प्राप्त हुआ और कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी शेखपुरा को भेजा गया और जॉब कार्ड देने के उपरांत पंचायत सेजगार सेवक, पंचायत राज गगरी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखण्ड-शेखपुरा को देते हुए लोकपाल मनरेगा को प्रतिलिपि दिया गया। वाद निष्पादित।</p> <p>परिवाद श्री मिथलेश दाढ़ी, ग्राम- पंचायत गगरी द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण सेजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सेजगार कार्ड/जॉब कार्ड के लिए शिकायत प्राप्त हुआ और कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी शेखपुरा को भेजा गया और जॉब कार्ड देने के उपरांत पंचायत सेजगार सेवक, पंचायत राज गगरी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखण्ड-शेखपुरा को देते हुए लोकपाल मनरेगा को प्रतिलिपि दिया गया। वाद निष्पादित।</p>



ई० पंकज सिन्हा,  
लोकपाल (मनरेगा),  
शेखपुरा (बिहार)